By Speed Post

F.No.A.12018/01/2005-Ad.IIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs

Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax
28 OCT 2013
Cochin-18
कार्यालय, मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर
कोचिन -18

New Delhi, the 26th September, 2013

To

All the Chief Commissioner/DGs under CBEC

Sub :- Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Chief Accounts Officer (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2013- reg.

Sir/Madam,

I am directed to send herewith a copy of GSR No.194 dated 8th August, 2013 published in the Gazette of India: Part II, Section 3, Sub-Sec.(i) on the above subject for information and record.

Yours faithfully,

Encl. As above

(S.A. Ansari)
Under Secretary to the Government of India
Tel.No.23095528

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1097—1102

Dated 17-8-2013

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय) (मुख्य लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1985 और राजस्व विभाग मुख्य लेखा अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय विरचना और निदेशालयों में मुख्य लेखा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, मुख्य लेखा अधिकारी (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य लेखा अधिकारी	*155 (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. (ग्रेड वेतन 5400 रु.)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित हो शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वेतन बैंड–2, 9300–34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची काडर के भीतर पारस्परिक वरिष्ठता के साथ श्रेणी में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन विहित सेवा के विभिन्न श्रेणियों के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अर्हक सेवा के पूरा होने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2 :** केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन प्रोन्नति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अनिवार्य होगा । कोई अधिकारी जिसने मुख्य लेखा अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा नहीं किया है, वह किसी वेतनवृद्धि के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह प्रशिक्षण पूरा न कर ले । अधिकारी अनिवार्य प्रशिक्षण के पूरा होने पर उस तारीख से जिसको वह अन्यथा उसी के लिए पात्र था, अपनी वेतनवृद्धि लेने का हकदार होगा । वे अधिकारी जिनकी, प्रोन्नति पर सेवा निवृत्ति के पूर्व शेष सेवा का एक वर्ष से कम होगा, उन्हें उक्त प्रशिक्षण से छूट प्राप्त रहेगी । **टिप्पण 3 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 4 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :– 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा अयोग —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड —सदस्य 3. सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (अध्यक्ष केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा नामित) —सदस्य	रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/01/2005-प्रशा. 2क]

ए. के. कासिम, उप सचिव

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th August, 2013

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution in supersession of the Central Board of Excise and Customs (Attached and Subordinate Offices) (Chief Accounts Officer) Recruitment Rules, 1985 and the Department of Revenue, Chief Accounts Officer Recruitment Rules, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Accounts Officer in the field formations and Directorates under the Central Board of Excise and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Chief Accounts Officer (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc..—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Chief Accounts Officer	155* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 5400.	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion :** Administrative Officer under the Central Board of Excise and Customs in pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600 with three years' regular service in the grade. **Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of qualifying service by the Administrative Officers of different cadres under the Central Board of Excise and Customs of prescribed service in the grade with inter se seniority within the cadre. **Note 2 :** Successful completion of training as prescribed by the Central Board of Excise and Customs within a period of two years from the date of promotion shall be mandatory. An officer who has not successfully completed mandatory training for the Chief Accounts Officer shall not be eligible for any increment until completion of training. The officer shall be entitled to draw his increment from the date on which he was otherwise eligible for the same, on completion of mandatory training. Officers with less than one year of service remaining before retirement on promotion, stand exempted from the said training. **Note 3 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite

(11)
qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 4 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs —Member 3. Member, Central Board of Excise and Customs (to be nominated by Chairman, Central Board of Excise and Customs) —Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. A-12018/01/2005-Ad. II A]

A. K. QASIM, Dy. Secy.

MGIPRRND—3731 Fin./2013—100 Copies.